राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

क्रमांकः– एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/2018/ 388 दिनांकः - 26/7/2018

जिला रजिस्ट्रार, (जन्म–मृत्यु) एवं
उप/सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
जिला समस्त

विषयः– मिथ्या/गलत तथ्यों पर आधारित जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) से ऐसे प्रकरण प्राप्त होते है जिसमें मिथ्या/गलत तथ्यों पर आधारित जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उनके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में मार्गदर्शन मांगा जाता है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि ऐसे प्रकरण जिसमें गलत तथ्यों एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्रमाण पत्र जारी कराये जाते है तो जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) उन प्रकरण के तथ्यों की जांच करें एवं सन्तुष्ट होने पश्चात् सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करावें तथा फर्जी/कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जारी कराये गये प्रमाण पत्र को जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 15 एवं राज्य नियम, 2000 के नियम 11 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निरस्त करने की कार्यवाही करें।

भवदीय,

(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/2018/ दिनांकः

प्रतिलिपिः– जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं आयुक्त, नगर निगम, ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव